न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौंहान , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 09 ⁄ 2022

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थीगण
जसी पत्नि पूराराम जाति मेगवंशी निवासी रोड़ा तहसील रानीवाडा		1. केतन पुत्र सोमाराम 2. किंजल पुत्री सोमाराम 3. सोनू पुत्री सोमाराम 4. जगूदेवी पत्नि सोमाराम 5. सुरताराम पुत्र रूपाराम 6. छगना पुत्र प्रभा 7. जवा पुत्र तेजा 8. तगा पुत्र तेजा 9. दला पुत्र तेजा 10. लखमा पुत्र तेजा 11. सोमा पुत्र तेजा 12. विमलादेवी पत्नि मोहनलाल जातियान मेघवाल निवासीयान रोडा तहसील रानीवाडा 13. किशना पुत्र हीरा जाति मेघवाल निवासी भाटीप 14. जयन्तिलाल पुत्र मफाजी 15. पोपटलाल पुत्र मफाजी 16. मफाराम पुत्र गेनाराम जातियान भील निवासीयान रोडा 17. मनजी पुत्र मुकना 18. वेना पुत्र मुकना जातियान पुरोहित निवासीयान रोडा 19. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 20. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा 21. शाखा प्रबन्धक, एस.बी.आई. शाखा रानीवाडा 22. शाखा सचिव, जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीया अधिवक्ता श्री अमृतलाल कटारिया।
2. अप्रार्थी संख्या 19 राजपेरोकार।

–: निर्णय :–

दिनांक – 24.11.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.16 14:40:38 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत [illegible] 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि सरहद मौजा रोडा तहसील रानीवाड़ा में प्रार्थीया की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नम्बर 796 ⁄ 191 रकबा 0.[illegible], खसरा नम्बर 798 ⁄ 2[illegible] रकबा 0.

91हे. जुमले रकबा 1.44हे. आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया के नाम दर्ज हैं। प्रार्थीया की उक्त आराजी खसरा नम्बर 789／215 के दक्षिण पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 211 रकबा 0.04हे. आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 से 5 के नाम से दर्ज हैं। उक्त प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 798／215 के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 14 से 16 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 217 रकबा 2.65हे. आई हुई हैं जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 14 से 16 के नाम दर्ज हैं तथा प्रार्थीया की उक्त आराजी खसरा नम्बर 798／215 के पूर्व में अप्रार्थी संख्या 17 व 18 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 210 रकबा 1.57हे. आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 17 व 18 के नाम से दर्ज हैं तथा प्रार्थीया की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 796／191 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 12 व 13 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 190 रकबा 1.93हे. आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 12 व 13 के नाम दर्ज हैं तथा प्रार्थीया की उक्त आराजी खसरा नम्बर 796／191 के पश्चिम दिशा में 6 से 11 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 192 रकबा 1.16हे. आई हैं। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 6 से 11 के नाम दर्ज हैं तथा प्रार्थीया की उक्त आराजी खसरा नम्बर 796／191 के दक्षिण दिशा में अप्रार्थी संख्या 13 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 193 रकबा 0.03हे. व प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 796／191 व खसरा नम्बर 798／215 के उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 13 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 795／191 रकबा 0.92हे., खसरा नम्बर 797／215 रकबा 0.52हे. की आई हुई हैं। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 13 के नाम से दर्ज हैं। प्रार्थीया की उपरोक्त आराजी व अप्रार्थी संख्या 1 से 18 के नाम की उपरोक्त वर्णित आराजी की सीमा को लेकर विवाद होने पर प्रार्थीया द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा के समक्ष उक्त आराजी की पैमाईश करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 44 दिनांक 30.12.2021 के जरिये उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश हल्का पटवारी सुरजवाड़ा को दिये गये। उक्त आदेश की पालना में हल्का पटवारी सुरजवाड़ा दिनांक 26.02.2022 को मौके पर पैमाईश करने गये परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने 17 द्वारा उक्त पैमाईश पर असमति जाहिर की तथा मौके पर विवाद बरकरार रहा। मौके पर पैमाईश विवादास्पद होने से श्रीमान तहसीलदार साहब रानीवाड़ा के आदेश की सही सही पालना नहीं की जा सकी।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन हैं कि सरहद मौजा रोड़ा तहसील रानीवाड़ा में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी आराजी 796／191 व 798／215 व अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 211 व अप्रार्थी संख्या 14 से 16 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 217 व अप्रार्थी संख्या 17 व 18 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 210 अप्रार्थी संख्या 12 व 13 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 190 व अप्रार्थी संख्या 6 से 11 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 192 व अप्रार्थी संख्या 13 की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 193, खसरा नम्बर 795／191 व खसरा नम्बर 797／215 बीच की सीमा का सीमांकन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्ढी करने के आदेश फरमावे।

2. प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया [illegible] अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 6 से 18, 20 व 21 [illegible] बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा इकबालिया जवाब दिया गया। व अप्रार्थी संख्या [illegible] राजपेरोकार द्वारा जवाब दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.16 14:40:38 IST
Reason: SelfAttested

3. अप्रार्थी संख्या 19 राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा रोडा के खसरा नम्बर 796/191 रकबा 0.53 हैक्टेयर खसरा नम्बर 798/215 रकबा 0.91 हैक्टेयर जूमले रकबा 1.44 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि पैमाईश के पडौसीयान खातेदारान की है एवं प्रार्थीया द्वारा स्वयं की आराजी की पैमाईश हेतु आदेश जारी करवाया गया था, आदेशानुसार पटवारी हल्का ने मौके पर पैमाईश की तथा सीमाज्ञान करवाया लेकिन मौके पर पड़ौसीयान ने प्रार्थीया की पैमाईश से असहमति जाहीर की। प्रार्थी खातेदार स्वयं की भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। तथा पत्थरगढी की जाती है तो राजहित प्रभावित नही होता। एवं प्रार्थीया के खेत की पत्थरगढी की जाती है तो भूमिधारी को कोई आपत्ति/एतराज नहीं है।

4. पत्रावली मे पेश प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने व प्रार्थीया के विद्वान अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 19 के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीया द्वारा दिनांक 26.02.2022 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाने पर पडौसी खातेदारों द्वारा सीमाकंन पर असहमति जाहिर की। तथा राजपेरोकार ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। व प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी ऐसी स्थिति में प्रार्थीया मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः मौजा रोड़ा के खसरा नम्बर 796/191, 798/215 के सीमा पर स्थित खसरा नम्बर 211, 217, 210, 190, 192, 193, 795/191, 797/215 के मध्य की माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा रोडा पटवार हल्का सूरजवाडा के खसरा नम्बर 796/191, 798/215 के सीमा पर स्थित खसरा नम्बर 211, 217, 210, 190, 192, 193, 795/191, 797/215 के मध्य माठ की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(कुसुमलता चौंहान)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 24.11.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.16 14:40:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर